संख्या-16/2025/002-792-94-1-2025-312-125-2024

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ0प्र0 प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 23 जून, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 स्कैनिंग एवं इण्डैक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेंट के मानक मद सं०-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में से 08-कार्यालय व्यय एवं 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के मानक मदों में पुनर्विनियोग प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1718/तीन-01/शि0का0लख0/2025 दिनांक 15-05-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 स्कैनिंग एवं इण्डैक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेंट के मानक मद सं०-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में उपलब्ध धनराशि रु0 60.00 करोड़ में से मानक मद संख्या 08-कार्यालय व्यय हेतु धनराशि रु0 1.42 करोड़ एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के मानक मदों में धनराशि रु0 6.30 करोड़ भुगतान हेतु कुल धनराशि रु0 7.72 करोड़ का पुनर्विनियोग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 स्कैनिंग एवं इण्डैक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेंट के मानक मद सं०-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में से 08-कार्यालय व्यय एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के मानक मदों में कुल धनराशि रु0 7,72,00,000 (रुपये सात करोड़ बहत्तर लाख मात्र) का निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है।
(4) उक्त मदों में पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का व्याय किये जाने में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

(6) यह आदेश वित्तक विभाग के आर0ई0 संख्या -बजट-1-10 दिनांक 13-06-2025 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,42,00,000 (रुपये एक करोड़ बयालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 091 **लेखा शीर्षक** 2030030010500 स्कैनिंग एण्ड इन्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट **मानक मद** 08 कार्यालय व्यय (2) रुपये 6,30,00,000 (रुपये छह करोड़ तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 091 **लेखा शीर्षक** 2030030010500 स्कैनिंग एण्ड इन्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट **मानक मद** 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-16/2025/002-7921(1)-94-1-2025-312-125-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in